क्रमांकः एमपीआईडीसी/भूप्रक./26/

भोपाल, दिनांक : /02/2026

प्रति,

श्री तरूण कुमार कटारे,
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
मध्यप्रदेश शासन,
औद्योगिक नीति एवं निवेष प्रोत्साहन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल।

विषय :- मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त सीएम मॉनिट ए के संबंध में।
संदर्भ :- औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग का पत्र क्रमांक एफ 4/2/1/0001/2026/ए-ग्यारह, दिनांक 13.01.2026

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय विधायक श्री सोहनलाल बाल्मीक द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन को प्रेषित पत्र दिनांक 18.12.2025 के संबंध में वस्तुस्थिति की जानकारी निम्नानुसार है:-

(1) ग्राम-डोमरी, तहसील-उमरेठ, जिला-छिंदवाड़ा की कुल 11 खसरों की 47.980 हेक्टेयर शासकीय अविकसित भूमि का आधिपत्य औद्योगिक प्रयोजन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर द्वारा दिनांक 06.11.2020 को प्राप्त किया गया था, भूमि वृहद स्तर की औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु आरक्षित रखी गई थी।

(2) उक्त भूमि कलेक्टर, छिंदवाड़ा के प्रस्ताव पर मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा उनके पत्र क्रमांक 842/आईपीआई/2/0045/2024/ए-ग्यारह, दिनांक 22.05.2024 से छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना अंतर्गत संगम-2 बांध निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामों के ग्रामवासियों के पुनर्वास हेतु राजस्व विभाग, छिंदवाड़ा को समर्पित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

(3) एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर के पत्र क्रमांक 4491, दिनांक 13.12.2024 से ग्राम-डोमरी, तहसील-उमरेठ, जिला छिंदवाड़ा की कुल 11 खसरों की 47.980 हेक्टे. शासकीय अविकसित भूमि का आधिपत्य तहसीलदार, तहसील-उमरेठ, जिला-छिंदवाड़ा को सौंपा गया है।

(4) कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा द्वारा उक्त भूमि का आवंटन पुनर्वास प्रयोजन हेतु जल संसाधन विभाग को किया गया है। नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 की कंडिका 18 के तहत यदि किसी विभाग को आवंटित हस्तांतरित भूमि का निर्धारित प्रयोजन के लिए दो वर्ष की अवधि में उपयोग नहीं किया जाता है तो संबंधित विभाग से जमीन वापिस ली जा सकती है। जल संसाधन विभाग के पक्ष में दिनांक 22.05.2024 को भूमि के हस्तांतरण की कार्यवाही हुई है। उक्त स्थिति में संबंधित विभाग से किसी अन्य प्रयोजन के लिए भूमि वापिस नहीं ली जा सकती है।

वर्तमान में एमपीआईडीसी द्वारा उक्त भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(आकाश श्रीवास्तव)
कार्यकारी संचालक

पृ.क्रं. : एमपीआईडीसी/भूप्रक./26/1203

भोपाल, दिनांक 05/02/2026

प्रतिलिपि :-

श्री सोहनलाल बाल्मीक, विधायक, विधानसभा क्षेत्र परासिया, इंटक ऑफिस, चांदामेठा, तहसील-परासिया, जिला-छिंदवाड़ा (म.प्र.)।

कार्यकारी संचालक